



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 708 राँची, शुक्रवार, 1 नवम्बर, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

शुद्धि पत्र

30 अक्टूबर, 2024

ज्ञापांक:-10/सी०बी०आई०-424/2024-6322--DIG of Police / HOB, CBI ACB. Ranchi के पत्रांक-424/SI-04/2022-R, दिनांक-11.07.2024 के आलोक में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-4717, दिनांक-05.08.2024 में अंकित "*U/s 13 (2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act. 1988 and U/s 13 (2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption Act. 1988 (as amended in years 2018)*" एवं "*Members of Delhi Special Police Establishment Act. "* उल्लेखित कर निर्गत था ।

पुनः, DIG of Police / HOB, CBI ACB, Ranchi के पत्रांक-598/SI-04/2022-R. दिनांक-09.10.2024 के द्वारा उपलब्ध मंतव्य के आलोक में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4717, दिनांक-05.08.2024 में उल्लेखित "*U/s 13 (2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act, 1988 and U/s 13 (2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption Act. 1988 (as amended in years 2018)*" एवं "*Members of Delhi Special Police Establishment Act.*" को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, इसके स्थान पर "*Us 13 (2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act, 1988 (before the amendment of 2018) and U/s 13 (2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in years 2018)*" एवं "*Members of Delhi Special Police Establishment*" किया जाता है ।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-4717, दिनांक-05.08.2024 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

आलोक कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
